प्रशासन

संघ प्रदेश,दादरा एवं नगर हवेली,

(राजभाषा विभाग)

सिलवासा

सं.4-5(3)/2010-प्रशा./नराकास/भाग-II/117 सिलवासा,दिनांक:-24 /07/2018

अधिसूचना

प्रशासक,दमण एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली एतदद्वारा संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली,सिलवासा में स्थित सभी अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों, निगमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार के प्रतिष्ठानों आदि के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का निम्नरूप से पुनर्गठन करते हैं |

संघ स्तर पर दादरा एवं नगर हवेली में स्थित कार्यालयों हेतु नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति:

1. प्रशासक के सलाहकार, दादरा एवं नगर हवेली - अध्यक्ष
2. सचिव (राजभाषा), दादरा एवं नगर हवेली - उपाध्यक्ष
3. वित्त सचिव, दादरा एवं नगर हवेली - सदस्य
4. समस्त सचिव/विभागाध्यक्ष,दादरा एवं नगर हवेली - सदस्य
5. पुलिस महानिरीक्षक, दादरा एवं नगर हवेली - सदस्य
6. मुख्य वन संरक्षक, दादरा एवं नगर हवेली - सदस्य
7. समाहर्ता, दादरा एवं नगर हवेली - सदस्य
8. समस्त संयुक्त/विशेष / उप-सचिव, दादरा एवं नगर हवेली - सदस्य
9. समस्त कार्यालयाध्यक्ष, दादरा एवं नगर हवेली - सदस्य
10. उप मंडलीय अधिकारी,भारतीय दूर संचार निगम, दादरा एवं नगर हवेली - सदस्य
11. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, दादरा एवं नगर हवेली |
12. उपायुक्त केंद्रीय आबकारी विभाग,खण्ड(1-4), दादरा एवं नगर हवेली - सदस्य
13. उपायुक्त आयकर विभाग, दादरा एवं नगर हवेली - सदस्य
14. प्राचार्या,केंद्रीय विद्यालय, दादरा एवं नगर हवेली - सदस्य
15. प्राचार्य, नवोदय विद्यालय, सिली - सदस्य
16. वरिष्ठ प्रबन्धक, इंडियन ऑयल कोर्पोरेशन - सदस्य
17. युवा समन्वयक, नेहरू युवा केंद्र, दादरा एवं नगर हवेली - सदस्य
18. केंद्र सरकार के समस्त कार्यालयों के अध्यक्ष, दादरा एवं नगर हवेली - सदस्य
19. सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबंधक, दादरा एवं नगर हवेली - सदस्य
20. सरकारी उपक्रमों एवं भारत सरकार के प्रतिष्ठान कार्यालयों के अध्यक्ष, दादरा एवं नगर हवेली - सदस्य
21. उप निदेशक (राजभाषा), दादरा एवं नगर हवेली - सदस्य सचिव

उद्देश्य:- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन का प्रमुख उद्देश्य केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करना, इसे बढ़ावा देना और इसके मार्ग में आ रही कठिनाईयों को दूर करना है | इसके अतिरिक्त यह समिति नगर स्थित कार्यालयों में राजभाषा से संबंधित कार्यकलापों का समन्वयन भी करेगी |

24.07.18

2/-

कार्यकलाप:-

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के मुख्यत: निम्नलिखित कार्य होंगे :

1. राजभाषा अधिनियम/नियम और सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों और हिन्दी के प्रयोग से संबधित वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करना:
2. नगर के केंद्रीय सरकार के कार्यालयों निगमों, उपक्रमों,बैंकों आदि कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के संबंध में किये जानेवाले उपायों पर विचार करना ।
3. हिन्दी के संदर्भ साहित्य, आशुलिपिकों और कंप्यूटरीकरण आदि की उपलब्धता पर समीक्षा करना तथा ।
4. हिन्दी भाषा, हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण से संबंधित समस्याओं पर विचार करना ।

इन प्रमुख कार्यों के अतिरिक्त नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहन देने हेतु कई प्रकार की प्रोत्साहन योजनाएँ चलाने के साथ-साथ हिन्दी संबंधी प्रतियोगिताएं आयोजित करना, हिन्दी से संबंधित सेमिनार/संगोष्ठियाँ आयोजित करना, हिन्दी की प्रगति में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यालयों को पुरस्कार प्रशस्ति पत्र प्रदान करना ।

उक्त समिति की बैठक भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग, नई दिल्ली के निदेशानुसार प्रशासनिक उपलब्धता के अनुसार आयोजित की जाएगी ।

प्रशासक, दमण एवं दीव और दादरा एवं
नगर हवेली के आदेश तथा नामानुसार,

24.07.18

(करणजीत वाडोदरीया)
उप सचिव (राजभाषा)
दादरा एवं नगर हवेली,सिलवासा

सेवा में,

समस्त सदस्यगण,नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दादरा एवं नगर हवेली ।

1. प्रशासक के निजी सचिव,सचिवालय, दादरा एवं नगर हवेली ।
2. प्रशासक के सलाहकार के निजी सहायक, सचिवालय, दादरा एवं नगर हवेली ।
3. वित्त सचिव के निजी सहायक, सचिवालय, दादरा एवं नगर हवेली ।
4. समाहर्ता के निजी सहायक,समाहर्तालय,दादरा एवं नगर हवेली ।
5. सभी विभागाध्यक्ष,दादरा एवं नगर हवेली ।
6. प्राचार्य, सरकारी मुद्रणालय, दादरा एवं नगर हवेली को इस अनुरोध के साथ कि वे इस अधिसूचना को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करें और इसकी 5 प्रतियाँ इस विभाग को कार्यालयीन उपयोग हेतु भिजवायें ।
7. राष्ट्रीय सूचना केंद्र, दादरा एवं नगर हवेली सचिवालय, दादरा एवं नगर हवेली को इस अनुरोध के साथ कि वे इस अधिसूचना को सरकारी वेबसाइट पर अपलोड करें ।
8. कार्यालय प्रति / गार्ड फाईल ।